(1)

FORM No. III

फर्द अहकाम(नियम)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

प्रार्थना पत्र/174/2023

दायर दिनांक 11/09/2023

प्रकरण धारा 136 एल.आर.एक्ट.

उनवान

रोडीबाई पत्नि रामभरोस कुम्हार नि0 सेमला तहसील सुनेल

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुनेल जिला झालावाड राज0

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिषियल्स जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
11-9-23	प्रार्थीया रोडीबाई पत्नि रामभरोस कुम्हार नि0 सेमला तहसील सुनेल द्वारा इस न्यायालय में उपस्थित होकर ग्राम सेमला तहसील सुनेल की खाता संख्या 399 की आराजी ख0न0 41 व 47 कुल किता 2 रकबा 1.1003 हैक्टेयर भूमि मे प्रार्थीया के पति का नाम शुद्वि करने का निवेदन किया प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रकरण मे रिपोर्ट तहसीलदार सुनेल ली गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया कि तहसीलदार सुनेल की जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम सेमला तहसील सुनेल की खाता संख्या 399 की आराजी ख0न0 41 व 47 कुल किता 2 रकबा 1.1003 हैक्टेयर भूमि मे प्रार्थीया अपने पति का नाम मे संशोधन चाहती हैं। उक्त भूमि प्रार्थीया द्वारा बैचान पत्र से क्रयशुदा हैं, जिसमे प्रार्थीया का नाम रोडीबाई पत्नि रामविलास कुम्हार नि0 सेमला दर्ज हैं जो कि नामा0 संख्या 662 से वर्तमान मे जमाबन्दी मे अमल हुआ हैं। मुताबिक पंजीयन दस्तावेज अनुसार राजस्व रेकार्ड सही हैं। रजिस्टर्ड दस्तावेज मे शुद्वि के उपरान्त ही जमाबन्दी मे शुद्वि किया जाना संभव है, परन्तु प्रार्थीया पंजीयन दस्तावेज में धारा 136 एल.आर. एक्ट के तहत शुद्वि चाह रही है, जो उचित नहीं है। प्रार्थीया न्यायालय में नियमानुसार वाद पेश कर आवश्यक पक्षकार बनाकर [illegible] उक्त प्रकरण धारा 136 एल.आर. एक्ट के तहत [illegible] से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर प्रकरण खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर रजिस्टर में खारजा लगाया जावे। उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0 उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.10.20 14:33:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner